न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/17/2017	27—02—2017	17—05—2018

01— महेन्द्र पुत्र लल्लीराम जाति जाट निवासी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर
02— परसराम पुत्र लल्लीराम जाति जाट निवासी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 12.12.2015 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 30/2015

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

उपस्थितः—

01—श्री गिरार्ज प्रसाद गुप्ता —वकील अपीलाण्ट

02—श्री सतीश चन्द जैन — वकील प्रार्थी आर्डर 1 रूल्स 10

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 12.12.2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम लीली गैर मुमकीन रास्ता आराजी खसरा नम्बर 803 रकबा 0.20 है0 मे से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम लीली गैर मुमकीन रास्ता आराजी खसरा नम्बर 803 रकबा 0.20 है0 मे से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2015 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 802 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है अपील के निस्तारण से प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरित असर पडेगा अतः प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया है, कि अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 802 पर है ना कि खसरा नम्बर 803 पर है। आराजी खसरा नम्बर 803 पर अपीलान्ट द्वारा कोई निमार्ण कार्य नही किया गया है। उक्त संबंध में उभय पक्षकारों के बीच उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट में वाद विचाराधीन है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 द्वारा खसरा नम्बर 802 पर आक्षेप जताया गया है जबकी तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 803 पर प्रार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण मानते हुए 91 एल0आर0एक्ट में कार्यवाही की है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 खारिज किया जाता है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 803 पर है तो आदेश दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

जावे और यदि अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 802 पर है तो नियमानुसार पैमाइश करवाई जावे। प्रकरण इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है। (5)

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17—05—2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) * अलवर (राज०) * ALWAR (RAJ.)